भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2603
सोमवार, 09 मार्च, 2026 / 18 फाल्गुन, 1947 (शक)

नियमित और संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में असमानता

†2603.श्री राजीव राय:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नियमित कर्मचारियों के लिए वर्ग और पदवार वेतन और अन्य भत्तों के निर्धारण की पद्धति तथा समान कार्य और कर्तव्यों का पालन करने वाले संविदा कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के निर्धारण की पद्धति क्या है;
(ख) प्रत्येक नव रत्न कंपनी में श्रेणीवार नियमित कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और
(ग) नियमित कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में अंतर के कारण क्या हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): नियमित कर्मचारियों के वेतन और भत्ते रोजगार के क्षेत्र के आधार पर विभिन्न तंत्रों के माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए, वेतन और भत्तों का निर्धारण वेतन आयोगों की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में, वेतन और भत्ते वेतन पुनरीक्षण समितियों के माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं। निजी क्षेत्र में वेतन, वैधानिक प्रावधानों के अध्यधीन, मुख्य रूप से रोजगार अनुबंधों के माध्यम से तय किए जाते हैं।

जहाँ तक नियमित कर्मचारियों के समान कार्य और कर्तव्यों का पालन करने वाले अनुबंध के आधार पर नियोजित कर्मचारियों का संबंध है, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केंद्रीय नियमावली, 1971 [नियम 25(2)(v)(क)], निम्नानुसार निर्धारित करती है:

"जिन मामलों में ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मकार, प्रतिष्ठानों के प्रमुख नियोक्ता द्वारा सीधे नियोजित कर्मकारों के समान या समरूप कार्य करते हैं, वहां ठेकेदार के कर्मकारों की मजदूरी दरें, अवकाश, कार्य के घंटे और सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी जो उसी या समरूप कार्य पर प्रतिष्ठान के प्रमुख नियोक्ता द्वारा सीधे नियोजित कर्मकारों पर लागू होती हैं;

जारी..2/-

परंतु कार्य के प्रकार के संबंध में किसी भी असहमति के मामले में, इसका निर्णय उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) द्वारा किया जाएगा।"

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के उपबंधों को अब व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (ओ.एस.एच. एंड डब्ल्यू.सी.) संहिता, 2020 के अंतर्गत समाहित कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 के अंतर्गत नियमों को पूर्व-प्रकाशित कर दिया गया है।

सार्वजनिक उद्यम (पी.ई.) सर्वेक्षण वर्ष 2024-25 के अनुसार नवरत्न सी.पी.एस.ई. के नियमित कर्मचारियों और संविदात्मक / अनियत कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा अनुबंध में संलग्न है।

* ******

अनुबंध

'नियमित और संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में असमानता' के संबंध में श्री राजीव राय द्वारा दिनांक 09.03.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2603 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण वर्ष 2024-25 (दिनांक 31.3.2025 तक की स्थिति के अनुसार) के अनुसार नवरत्न सी.पी.एस.ई. में कर्मचारियों की संख्या।

क्र. सं.	काग्नेट समूह/सी.पी.एस.ई.	नियमित कर्मचारियों की संख्या	संविदात्मक/अनियत कामगारों की संख्या	कुल योग
	(1)	(2)	(3)	(2) + (3)
1	ओ.एन.जी.सी. विदेश लिमिटेड	204	1233	1437
2	नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड	4803	61	4864
3	एन.एम.डी.सी. लिमिटेड	5677	5319	10996
4	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	10943	12487	23430
5	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	2511	3547	6058
6	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	2620	2607	5227
7	एन.एच.पी.सी. लिमिटेड	4577	16	4593
8	एन.एल.सी. इंडिया लिमिटेड	9767	20434	30201
9	एस.जे.वी.एन. लिमिटेड	1070	195	1265
10	सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन	1841	0	1841
11	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1256	0	1256
12	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	448	49	497
13	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	2636	3	2639
14	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	834	242	1076
15	एन.बी.सी.सी. (इंडिया) लिमिटेड	1164	77	1241
16	रेल विकास निगम लिमिटेड	333	577	910
17	राइट्स लिमिटेड	1793	921	2714
18	सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	154	103	257
19	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1338	1401	2739
20	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	619	48	667
21	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	44	4	48
22	इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड	166	71	237
23	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	3031	5	3036
24	रेलटेल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड	567	2073	2640
25	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	8844	11342	20186
26	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	2657	9296	11953
